REGIONAL RURAL BANKS

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 1991 ई० की जनगणना के अनुसार भी देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है तथा राष्ट्रीय आय का आज भी लगभग 30 प्रतिशत भाग कृषि उत्पादन से ही प्राप्त होती है। हमारे देश में प्रारम्भ से ही कृषि-साख की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं रही है।

कृषि-साख-व्यवस्था के संदर्भ में 'सहकारी साख' पर विशेष बल दिया जाता रहा है. सहकारी साख संस्थाओं के क्रिया-कलापों को सरकारी रीति-नीति के अनुरूप प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है।

देश में प्रायः 100 वर्षों के बाद भी सहकारी साख-संस्थाओं की प्रगति मुख्यतः असन्तोषजनक ही रही है।

सहकारी साख संस्थाओं को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से सन् 1945 में गॉडगिल समिति ने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि जिन क्षेत्रों में सहकारी साख संस्थाएँ दुर्बल है वहाँ कृषि साख निगम स्थापित किये जाने चाहिए।

सन 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने ग्रामीण साख-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया था कि इस क्षेत्र में सहकारी

साख संस्थाओं को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी आवश्यक है।
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने 1954 में अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि सहकारी साख संस्थाएँ ग्रामीण साख समस्या का प्रभावी हल प्रस्तुत करने में असफल रही हैं।
जुलाई 1969 में चौदह बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय उद्देश्य सामने रखे गये थे, जिनमें से एक उद्देश्य यह भी था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक शाखाएँ स्थापित कर कृषि अर्थ-व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाय।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा एक बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गयी।
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक नयी संस्था प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया तथा भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 2 अक्टूबर, 1975 ई० को देश के कुछ चुने हुए जिलों में इस नये प्रकार की वित्तीय संस्था — प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की शुरुआत की। ये बैंक ग्रामीण बैंक कहे जाते हैं। गाँवों के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को कर्ज प्रदान करने का कार्य करते हैं।

Scanned with CamScanner

प्रादेशिक ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए उत्तरदायी तत्व :→

ग्रामीण बैंको की स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे छोटे-छोटे किसानो, खेतिहर मजदूरो, ग्रामीण कलाकारी तथा अन्य कमजोर वर्गों को रियायती दरो पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी है। इस क्षेत्र मे संस्थानिक शाख प्रदान करने के दो मुख्य माध्यम थे - सहकारी साख समितियाँ तथा व्यावसायिक बैंक।
इस क्षेत्र मे उचित तरीके से कार्य नही कर पा रहे थे।
ग्रामीण बैंको की स्थापना निम्नांकित कारणों से आवश्यक हो गयी थी :→

(क) सहकारी साख समितियों की अकर्मण्यता :→

ग्रामीण क्षेत्रो मे हाल तक सहकारी साख-समितियो पर ही मुख्य रूप से निर्भर किया जाता था। इस समितियो की कार्यवाही सन्तोषप्रद नही थी।
ग्रामीण क्षेत्रो मे इन समितियो द्वारा दी जाने वाली साख की मात्रा की वृद्धि अवश्य हुई।

(ख) व्यावसायिक बैंको द्वारा भी ग्रामीण ऋण की सुविधा का अभाव :→

राष्ट्रीयकरण के बाद व्यावसायिक बैंक भी ग्रामीण साख के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है,
जून 1969 मे व्यावसायिक बैंको द्वारा कृषि को

प्रत्यक्ष रूप के रूप मे केवल 54 करोड़ रुपये की रकम दी गयी थी जो बढ़कर दिसम्बर, 1974 मे 540 करोड़ रुपये तथा मार्च, 1995 मे 23,338 करोड़ रुपये हो गयी।
व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले साख मे प्रायः तीस वर्षों मे प्रायः 25 गुनी वृद्धि उत्साहजनक आवश्य है। आज भी व्यावसायिक बैंको द्वारा दिये गए साख का यह केवल छोटा-सा भाग। 14 प्रतिशत भाग ही है।
राष्ट्रीयकरण के बाद व्यावसायिक बैंको ने ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़े पैमाने पर शाखाओं की स्थापना भी की है।
1969 के बाद जितनी शाखाओं की स्थापना हुई है उनमे 57 प्रतिशत शाखाएँ केवल ग्रामीण क्षेत्रों मे ही स्थापित की गयी है।
इस प्रकार, ऐसा अनुमान किया जाता है कि कुल ग्रामीण साख की आवश्यकता का प्रायः एक तिहाई भाग ही संस्थानिक साख का है।

(ग) कृषि के क्षेत्र मे नये तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए :→
वर्तमान समय मे विशेष कृषि क्षेत्र मे नये तकनीक के प्रयोग के कारण ग्रामीण साख की समस्या मे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनो ही दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है।
भारतीय कृषि अब पिछड़ेपन के कुचक्र से निकलने के लिए दृढ़ संकल्प है, अतएव

Date
Page

ऐसी स्थिति मे केवल वित के अभाव से इस मार्ग मे कोई बहुत बड़ी बाधा नही उपस्थित होनी चाहिए।
इसी बात को ध्यान मे रखकर ग्रामीण क्षेत्रो मे साख की अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रादेशिक ग्रामीण बैंको की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा।
सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1975 के अन्त मे एक अध्यादेश भी जारी किया गया।

क्रमशः